## कार्यालय कलेक्टर ( भू–अर्जन शाखा ) बैतूल (म0प्र0)

क्रमांक 03 अ–82 / 14–15 भू–अर्जन / 2664          बैतूल दिनांक 26 मार्च 2016

### ईश्तहार

म0प्र0शासन, राजस्व विभाग, भोपाल द्वारा जारी क्रय नीति के अन्तर्गत आवेदक विभाग कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ / स) बैतूल जिला बैतूल (म0प्र0) द्वारा कटकुही जोड (मलाजपुर) से झारकुण्ड मार्ग का निर्माण में अर्जित निजी भूमि **ग्राम झारकुण्ड प0ह0न0 27 तहसील घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल खसरा नम्बर 189 / 1 में से रकबा 0.242** हे0 भूमि धारक श्री भोंदू व. ओझा, सदीया बेवा ओझा, बलिया पुत्री ओझा, निवासी झारकुण्ड के भूमि स्वामियों की निजी भूमि आपसी सहमति के आधार पर क्रय करने का प्रस्ताव पेश किया गया है।

अतएव आवेदक लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्राम झारकुण्ड तहसील घोड़ाडोंगरी की खसरा नम्बर 189 / 1 मे से 0.242 हे0 भूमि आपसी सहमति से क्रय करने के सम्बंध में किसी भी पक्षकार या किसी व्यक्ति को कोई आपति हो तो ईश्तहार के प्रकाशन होने की तारीख से 15 दिवस की अवधि में आपत्ति स्वंय या अपने अधिवक्ता या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कलेक्टर / अपर कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी भू–अर्जन शाखा के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। नियत समयावधि के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं क्रिया जावेगा ।

आज दिनांक 26-3-16 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी ।

**(ज्ञानेश्वर बी0 पाटील )**
**कलेक्टर,**
**बैतूल**

पृ0क्र0 3अ–82 / वर्ष 14–15 / भू–अर्जन / 2664  बैतूल दिनांक 26 मार्च 2016

प्रतिलिपिः–

1– संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में ) अग्रेषित। कृपया उक्त ईश्तहार का प्रकाशन एक दैनिक समाचार पत्र में कर इस कार्यालय को समाचार पत्रों की प्रति भी भेजने का कष्ट करें।

2– कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ / स) बैतूल को सूचनार्थ अग्रेषित। ईश्तहार का प्रकाशन एक स्थानीय पेपर में कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की एक प्रति इस

कार्यालय को भेजा जाना सुनिश्चित करे। साथ ही कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

3— प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।

4— प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन भेजने हेतु ।

5-- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) शाहपुर की ओर ( दो प्रतियों में ) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।

6— तहसीलदार घोड़ाडोंगरी की ओर (तीन प्रतियों में ) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति कय की जाने वाली भूमि के प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।

7— जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।

8— सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत झारकुण्ड तहसील घोड़ाडोगरी जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर ईश्तहार का उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित ।

कलेक्टर,
बैतूल